कार्यालयः निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेडा, तपोवन, देहरादून

आदेश सं0–सेवा–2/अराज./ 530 /2019–20 दिनांक 02 अगस्त, 2019

"विज्ञप्ति/नियुक्ति"

सचिव, लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड हरिद्वार के पत्र संख्या 199/60/01 डी0आर0(मा0शि0)/सेवा–1/2016–17 दिनांक 16 जुलाई, 2019 के द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थी को शासनादेश सं0 486/XXIV–नवसृजित/2019–17(01)/2011 दिनांक 29 जुलाई, 2019 के क्रम में विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा, वेतनक्रम रू0 47600–151100 लेवल–08 में **प्रवक्ता कृषि (सामान्य शाखा)** के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–07 में अंकित विद्यालय में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 के प्रस्तर–19 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त अभ्यर्थी न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे। प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम एव पता	श्रेणी /उप श्रेणी	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	तैनाती विद्यालय	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
1	प्रमिला राणा	अवतार सिंह राणा, ग्राम मालखी पो0ओ0भटवाड़ी जिला रूद्रप्रयाग	GEN	16–06–91	एम0एस–सी0 कृषि, बी0एड0	रा0इ0का0 मयकोटी रूद्रप्रयाग	रिक्त पद के प्रति

2. नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर नियुक्त अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख उपर्युक्त स्तम्भ–07 पर अंकित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

3. नियुक्ति के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण के उपरान्त संबंधित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–8 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

02/08/2019

(रामकृष्ण उनियाल)
अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0 सं0 सेवा–2/अराज0/ 12184-96 /2019–20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
(2) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
(3) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
(4) सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
(5) अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
(7) वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, संबंधित जनपद।
(8) संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक/शिक्षिकाओं की **संकलित सूचना कार्यभार ग्रहण की** तिथि सहित मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(9) संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि प्रधानाचार्य के माध्यम से नियुक्त अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों की भली भांति मिलान एवं जांच करवाते हुए

Scanned by CamScanner

कार्यभार ग्रहण की सूचना निदेशालय एवं संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें, साथ ही संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उनकी अंकना ई–पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें।

(10) संबंधित प्रधानाचार्य को इस निर्देश के साथ कि वे संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की उनके मूल अभिलेखों से भली–भांति जांच करने के पश्चात् उन्हें कार्यभार ग्रहण करायें तथा प्रमाण पत्रों की एक प्रति संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायें। प्रमाण पत्रों में भिन्नता होने पर इसकी सूचना तत्काल निदेशालय को उपलब्ध करायें।

(11) संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी नियुक्ति को निरस्त करते हुए आयोग को सूचित कर दिया जायेगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा संस्थाध्यक्ष के सम्मुख आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण/जाति/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य आरक्षित श्रेणी होने का प्रमाण पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जहां शिक्षा प्राप्त की हो, की दो प्रति प्रस्तुत करने होंगे। इसके साथ ही संबंधित अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य अभिलेख/तथ्य असत्य/भिन्न पाये जाते हैं, तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी तथा इस संबंध में विभाग द्वारा जो भी कार्यवाही की जायेगी, वह मुझे स्वीकार होगा। विवाहित अभ्यर्थी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी एक ही जीवित पत्नी/पति हैं।

संबंधित अभ्यर्थी को संघ/राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण पत्र एवं इस आशय का घोषणा प्रमाण पत्र कि **"मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है एवं न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है"** प्रस्तुत करने होंगे।

(12) सूचना प्रकोष्ठ, शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(13) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(हरेराम यादव) 02/8/19
उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

Scanned by CamScanner